बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

कार्यालय हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव, बक्सर

निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव, बक्सर के पशुओं को खिलाने हेतु प्रतिदिन 03 क्विंटल (लगभग) सुखा चारा (1) गेहूँ भूसा (2) नेवारी कुट्टी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कय करने हेतु मोहर बन्द निविदा प्रकाशन के 21 (इक्किस) दिन के अन्दर 05:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय में हाथों–हाथ या डाक द्वार प्राप्त निविदा ही मान्य होगा। प्राप्त निविदा को अगले दिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में स्थानीय कय समिति द्वारा कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।

1. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दो भाग में अलग–अलग लिफाफे में ली जाएगी। तकनीकी भाग में निविदा की योग्यता से संबंधित अभिलेंख होंगे एवं वित्तीय भाग में दर का विवरण होगा। केवल उसी निविदाओं के वित्तीय भाग को खोला जायेगा जो तकनीकी रूप से योग्य पाये जाएंगे।
2. संवेदक का निबंधन आपूर्ति हेतु निबंधन विभाग निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा होना आवश्यक है।
3. निविदा के साथ आयकर रिटर्न पिछले वर्ष का देना आवश्यक होगा।
4. निविदादाता को निविदा के साथ आधार का एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
5. निविदा के साथ पारदर्शी थैले में 200 ग्राम मुहर बन्द नमूना देना होगा, जिससे निविदादाता का नाम पता एवं तिथि अंकित होनी चाहिए।
6. अग्रधन के राशि 1000/– (एक हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन पक्षेत्र, डुमरॉव के नाम से होना आवश्यक है।
7. फार्म काली सूची में दर्ज नहीं रहने से संबंधित एक स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र देना होगा।
8. एक से अधिक निविदादाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता/ आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. निविदा में सभी तरह का कर एवं खर्च सन्निहित होना चाहिए।

10. माल की आपूर्त्ति प्रक्षेत्र के गोदाम तक पहुँचाकर करना होगा तथा माल की तौलाई एवं उठा[illegible] आपूर्त्तिकर्त्ता को वहन करना होगा।

11. माल नमूने के अनुसार नहीं होने पर माल नहीं ली जायेगी।

12. माल स्वीकृत दर से कम दर पर लेने का अधिकार कय समिति को सुरक्षित रहेगा।

13. निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. चयनित निविदादाता को सूचना के आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर माल की आपूर्त्ति कर देनी होगी।

15. नये वित्तीय नियमावली के अनुसार विपत्र की राशि में से जो भी कर होगा उसे काटकर [illegible] भुगतान किया जायेगा।

16. आपूर्तिकर्त्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति संतोषजनक रहने पर आपसी सहमती से एक वर्ष के लिये आपूर्ति के लिये अवधि विस्तार किया जा सकता है।

17. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निविदा को रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. निविदादाता को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय के बाद निविदा नहीं ली जायेगी।

उक्त जानकारी एवं शर्त्तों के लिए वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/ahd** पर देखा जा सकता है।

01.06.2023

(डॉ संदीप कुमार गुप्ता)
प्रभारी प्रबंधक,
हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,
डुमरॉव, बक्सर।

01.6.23